न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 146/2020 निर्णय दिनांकः– 18.11.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

शोकिशन उर्फ श्योकिशन पुत्र शंभूडा उर्फ समूहिया आयु 72 साल जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज.

1/1 मन्नीदेवी पत्नी शोकियान उर्फ श्योकिशन

1/2 रामदेव पुत्र शोकिशन उर्फ श्योकिशन

1/3 तादू पुत्र श्योक्यिान उर्फ शोकिशन

1/4 लालो पुत्र शोकिशान उर्फ श्योकिशन

1/5 सीमा पुत्री शोकिशन उर्फ श्योकिशन

1/6 संतरादेवी पत्नी श्योजीराम–पुत्र शोकिशन उर्फ श्योकिशन

1/7 धर्मराज पुत्र श्योजी–शोकिशान उर्फ श्योकिशन

1/8 मनोज पुत्र श्योजीराम–पुत्र शोकिशन उर्फ श्योकिशन

1/9 दिलकुश पुत्र श्योजी राम–पुत्र शोकिशन उर्फ श्योकिशन जाति धाकडान निवासी दोलता मोड उर्फ माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोक राज

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. गोपी पुत्र जमना जाति धाकड निवाती माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
2. प्रधान पुत्र कालू जाति धाकड निवाती माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3. प्रहलाद पत्र कालू जाति धाकड निवाती माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
4. शंकर पुत्र कालू जाति धाकड निवाती माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
5. लादी पुत्री हरनाथा जाति धाकड निवाती मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टॉक
6. तहसीलदार/उपपंजीयक महोदय देवली
7. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर टोंक

–अप्रार्थीगण–

– उपस्थिति –

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय/आदेश

प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण नं. 1 ता 5 के पिता व दादा की संयुक्त खातेदारी की आराजियात साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली मे स्थित है जिसका अंकन सं0 2016 के देवली तहसील में हुऐ सेटलमेन्ट द्वारा जारी पर्चा लगान में अंकित है । प्रार्थी व प्रतिपक्षीगणना नं. 1 ता 5 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

18.11.2024

Scanned with OKEN Scanner

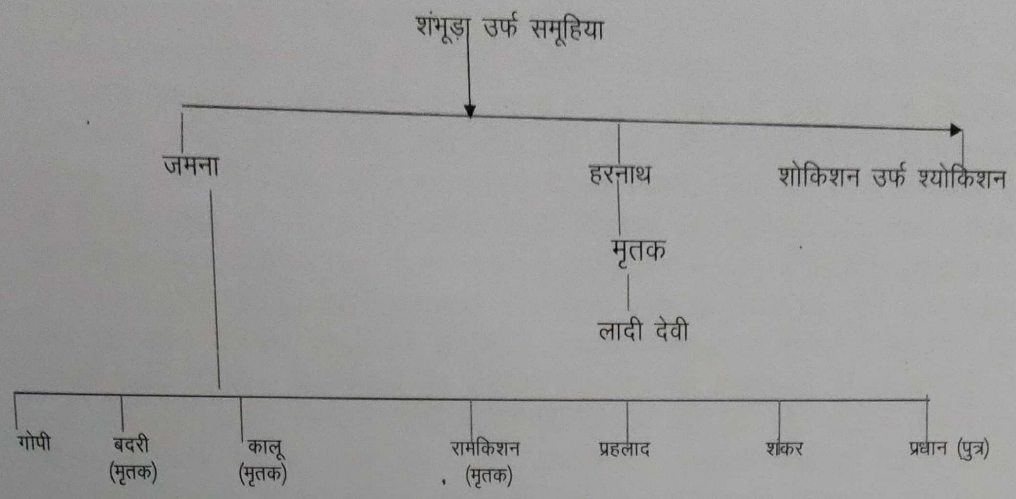

साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा पूर्व में नन्दराम व श्रीकिशन पिसरान छोगा ब्राहमण की खातेदारी की आराजी थी, उक्त भूमि को उक्त लोगो ने प्रार्थी के पिता शंभूड़ा को काश्त करने के लिये दे दी थी जिसको प्रार्थी का पिता ही काश्त करता था जिसका अंकन सं0 2004 व सं0 2005 की खसरा गिरदावरी में बतौर काश्तकार कॉलम नं 8 में अकिंत है। प्रार्थी का पिता जब तक जिन्दा रहा तब तक वह उक्त विवादित भूमि को काश्त करता रहा उक्त भूमि श्री किशन द्वारा प्रार्थी के पिता को दे दी गयी थी । प्रार्थी के पिता का लगभग सं0 2010 के आस–पास मृत्यु हो गयी उसके पश्चात देवली तहसील जो पूर्व मे जयपुर राजघराने के अर्न्तगत आता था, और उसी दौरान देवली तहसील मे सेटलमेन्ट शुरू हो गया और प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 5 के पिता व दादा ने आपस मे उनके पिता की भूमि का बंटवारा का 1/3–1/3 हिस्से को काश्त करने लगे और सेटलमेन्ट के दौरान शंभूडा के तीनो वारिसान के नाम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पर्चा जारी कर दिया । प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 5 का पिता हरनाथ, अनपढ, गंवार, व्यक्ति थे ओर उक्त दोनो व्यक्तियो गायों को चराने व भूमि पर खेती करने में व्यस्त रहते थे। प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 4 का पिता व दादा जमना बहुत ही चालाक व समझदार व्यक्ति था उसने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर उक्त साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा भूमि को स्वयं के नाम लगवा लिया और राजस्व रिकोर्ड में अंकन करवा लिया जबकि सं0 2024 की खसरा गिरदावरी सं0 2025 के कॉलम नं0 41 में यह अंकन है कि उक्त भूमि का सेटलमेन्ट द्वारा पटटा जारी किया गया है जो जमना हरनाथ, व श्योकिशन के नाम है इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सं0 2020 में भी कॉलम नं 21 मे नोट लगा हआ है। इससे साफ जाहिर है कि विवादित आराजियात साबिक ख. नं. 114 में शभूडा के तीनो पुत्रो का 1/3–1/3 हिस्सा है आज भी प्रार्थी अपने पिता की सम्पति मे 1/3 हिस्से पर काबिज है । हाल ही मे देवली तहसील में सेटलमेन्ट हुआ है ओर सेटसमेन्ट के दौरान साबिक ख. नं. 114 के नये नम्बर 118 रकबा 3.49 है0, ख. नं. 119 रकबा, 46 है, ख. नं. 143 रकबा 1.51 है0। कुल किता 3 कुल रकबा 5.45 है0 बना दिये गये है और वर्तमान मे उक्त भूमि प्रतिपक्षी नं. 1 गोपी हिस्सा 1/2 व प्रतिपक्षी नं. 2 ता 4 प्रत्येक का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकोर्ड में अंकित है, आज भी मौके पर प्रार्थी का 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिपक्षी नं. 1 ता 4 का 1/3 हिस्से पर कब्जा है । शंभूडा के तीन पुत्र थे जिसमे प्रार्थी मोजूद है तथा हरनाथ का देहान्त हो गया है उसके प्रतिपक्षी नं. 5 एक मात्र विधिक वारिसान है तथा मृतक जमना के एक पुत्र गोपी जिन्दा है तथा दूसरे पुत्र कालू का देहान्त हो गया है। जिसके प्रतिपक्षीगण नं. 1 ता 4 जायज कायम मुकामान है । प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 के पिता जमना राजस्व कर्मचारियो से सांज कर बिना किसी सक्षम न्यायालय या सेटलमेन्अ अधिकारी के आदेश उक्त सम्पूर्ण भूमि को स्वयं के नाम लगवा लिया है तथा प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं. 5 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में से हटा दिया है प्रार्थी का उक्त आराजियात मे 1/3 हिस्सा है उक्त आराजियात प्रार्थी के पिता की आराजी है, और प्रार्थी का कानूनन 1/3 हिस्सा विवादित आराजियात में बनता है इस कारण प्रार्थी को विवादित आराजियात ख. नं. 118, 119, 143 में से 1/3 हिस्से

18.11.2024

का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्याय संगत है। वर्तमान में प्रार्थी बहुत वृद्ध हो गया है अधिकतर बीमार रहता है इस कारण विवादित आराजियात का 1/3 हिस्सा प्रार्थी का पुत्र काश्त करता है । प्रतिपक्षीगण नं. 1 ता 4 के नाम वर्तमान में अवेध रूप से विवादित आराजियात अकिंत होने के कारण उक्त प्रति0 आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजामहत कर रहे हे, प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है तथा विवादित भूमि को बेचने की धमकी दे रहे है इस कारण प्रतिपक्षीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलाा वाद पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर, चाकर के प्रतिपक्षीगण नं. 1 ता 4 विवादित आराजियात मे से 1/3 हिस्से की हद तक आराजियात अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान नहीं करे, तथा प्रतिपक्षी नं. 6 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उसके समक्ष विवादित आराजियात का पंजीयन विक्रयपत्र हेतु प्रस्तुत हो तो उसन पंजीयन नही करे तथा राजस्व रिकोर्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, और राजस्व रिकोर्ड एवं मौके को स्थिति यथावत बनाये रखे । अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जायेकि वह स्वयं, जर्ये ऐजेन्ट,नौकर या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थी को हाल खसरा नम्बर 118 रकबा 3.49 है0, ख. नं. 119 रकबा, 46 है, ख. नं. 143 रकबा 1.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.45 है0 तहसील देवली मे से 1/3 हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे, उपयोग उपभोग मे रूकावट पेदा नही करे, तथा प्रति0 नं. 1 ता 4 विवादित भूमि में से 1/3 हिस्से की हद तक की भूमि अन्य किसी का रहन, दान, बेचान आदि नही करे, तथा प्रतिपक्षी नं. 3 को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजियात में से 1/3 हिस्से का कोई विक्रयपत्र उसके समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत होतो उसका पंजीयन नही करे ओर राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्राथीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता शिवजीराम डिडवाडिया ने वकालतनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर व समय के बावजूद अप्राथीगण संख्या 1 ता 5 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 का कोई उज्र नहीं होने से इनके बारे में विचार नहीं किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण नं. 1 ता 5 के पिता व दादा की संयुक्त खातेदारी की आराजियात साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली मे स्थित है जिसका अंकन सं0 2016 के देवली तहसील में हऐ सेटलमेन्ट द्वारा जारी पर्चा लगान में अंकित है । साबिक ख. नं. 114 रकबाा 23 बीघा पूर्व में नन्दराम व श्रीकिशन पिसरान छोगा ब्राहमण की खातेदारी की आराजी थी, उक्त भूमि को उक्त लोगो ने प्रार्थी के पिता शंभंड़ा को काश्त करने के लिये दे दी थी जिसको प्रार्थी व पिता ही काश्त करता था जिसको प्रार्थी का पिता ही काश्त करता था। प्रार्थी के पिता का लगभग सं0 2010 के आस–पास मृत्यु हो गयी और उसी दौरान देवली तहसील मे सेटलमेन्ट शुरू हो गया और प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 5 के पिता व दादा ने आपस मे उनके पिता की भूमि का बंटवारा का 1/3–1/3 हिस्से को काश्त करने लगे और सेटलमेन्ट के दौरान शंभूडा के तीनो वारिसान के नाम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पर्चा जारी कर दिया । प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 4 का पिता व दादा जमना ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर उक्त साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा भूमि को स्वयं के नाम लगवा लिया और राजस्व रिकोर्ड में अंकन करवा लिया जबकि विवादित आराजियात साबिक ख. नं. 114 में शभूंडा के तीनो पुत्रो का 1/3–1/3 हिस्सा है आज भी प्रार्थी अपने पिता की सम्पति मे 1/3 हिस्से पर काबिज है । हाल ही मे देवली तहसील में सेटलमेन्ट हुआ है ओर सेटसमेन्ट के दौरान साबिक ख. नं. 114 के नये नम्बर 118 रकबा 3. 49 है0, ख. नं. 119 रकबा, 46 है, ख. नं. 143 रकबा 1.51 है0। कुल किता 3 कुल रकबा 5.

18.11.2024

45 है0 बना दिये गये है और वर्तमान मे प्रार्थी का उक्त आराजियात मे 1/3 हिस्सा है । इस कारण प्रार्थी को विवादित आराजियात ख. नं. 118, 119, 143 में से 1/3 हिस्से मे से 1/3 हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे, उपयोग उपभोग मे रूकावट पेदा नही करे, तथा प्रति० नं. 1 ता 4 विवादित भूमि में से 1/3 हिस्से की हद तक की भूमि अन्य किसी का रहन, दान, बेचान आदि नही करे, तथा प्रतिपक्षी नं. 3 को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजियात में से 1/3 हिस्से का कोई विक्रयपत्र उसके समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत होतो उसका पंजीयन नही करे ओर राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओ पर निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भू–प्रबन्ध(सेटलमेन्ट) विभाग का पर्चा लगान दिनांक 17.10.60 में साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा बारानी व साबिक ख. नं. 129 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा दोयम के लिए नाम भीक्ता व नाम उपभीक्ता में माफी नन्दराम व श्रीकिशन पि. छोगाराम जाति ब्राहम्ण निवास स्थान पनवाड़ हि. बराबर व नाम कृषक जयराम व हरनाथ व शोकिशन पि. शंभूड़ा जाति धाकड़ देह हि. बराबर व दर्ज रिकॉर्ड है। सेटलमेंन्ट विभाग के मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2060 में ख. नं. 114 मिन से नये नम्बर 118 रकबा 3.49 है0, ख. नं. 119 रकबा, 46 है0, ख. नं. 143 रकबा 1.51 है0 बनना दर्शित है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2004 व 2005 में साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा में नाम काश्तकार के रूप में सभूड़ा पुत्र लक्ष्मणा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2025 में नाम कृषक कॉलम संख्या 5 में जमना, हरनाथ श्योकिशन पि. समूहिया के नाम खाता संख्या 20 में साबिक ख. नं. 122, 274, 283/2 कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 21 में जमना पुत्र समूहिया कोम धाकड के नाम ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा व खाता संख्या 22 में जमना, हरनाथ श्योकिशन लड़किया कलकू गोरी भूली व छोटी पि. समूहिया हि0 1/2 के नाम खाता संख्या 22 में साबिक ख. नं. 118, 18 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–21, 2024–25 में खसरा नम्बर 114 रकबा 23 बीघा में नाम उपकृषक नन्दराम वगै. व अन्तिम कॉलम संख्या 41 में लिखा है कि मुताबिक पट्टा सेटलमेंट द्वारा श्री जमना हरनाथ शोकिशन पुत्र शंभूड़ा के नाम ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा दर्ज किया, का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में खातेदार के रूप में जमना पुत्र समूड़िया कोम धाकड़ सा0 देह के नाम ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन में साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा नन्दराम व श्रीकिशन पि. छोगाराम जाति ब्राहम्ण निवास स्थान पनवाड़ थी जो बाद में जमना व हरनाथ व शोकिशन पि. शंभूड़ा जाति धाकड़ देह हि. बराबर व दर्ज रिकॉर्ड रही। साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा मिन से नये नम्बर 118 रकबा 3.49 है0, ख. नं. 119 रकबा, 46 है0, ख. नं. 143 रकबा 1.51 है0 बनना दर्शित है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2004 व 2005 में साबिक ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा में नाम काश्तकार के रूप में सभूड़ा पुत्र लक्ष्मणा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2025 में नाम कृषक कॉलम संख्या 5 में जमना, हरनाथ श्योकिशन पि. समूहिया के नाम खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–21, 2024–25 में खसरा नम्बर 114 रकबा 23 बीघा में नाम उपकृषक नन्दराम वगै. व अन्तिम कॉलम संख्या 41 में लिखा है कि मुताबिक पट्टा सेटलमेंट द्वारा श्री जमना हरनाथ शोकिशन पुत्र शंभूड़ा के नाम ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा दर्ज किया, का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में खातेदार के रूप में जमना पुत्र समूड़िया कोम धाकड़ सा0 देह के नाम ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है।

18.11.2024

उक्त का विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि सम्वत 2019–21, 2024–25 में पट्टा सेटलमेंट द्वारा श्री जमना हरनाथ शोकिशन पुत्र शंभूड़ा के नाम ख. नं. 114 रकबा 23 बीघा दर्ज किया का उल्लेख है। वादी ने सम्वत 2025 की व उसके बाद की जमाबंदी पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त विवादित आराजी कब व किस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व बहस में यह उल्लेख कर देना पर्याप्त नही है कि कि जमना ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि अपने नाम लगवा ली। वादी ने सम्वत 2033–36 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का पिता जमना है। प्रार्थी द्वारा इस तरह का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उक्त विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा रहा हो और वर्तमान में भी प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हो, प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नहीं है। इस तरह के सम्पूर्ण विवादित बिन्दूओ का समाधान नियमित वाद में साक्ष्य, सबूदात व कानून के माध्यम से होना है। वर्तमान स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत रखने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से इस बिन्दू को प्रार्थी के पक्ष में अस्वीकार किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट तौर पर जाहिर हो चुका है कि पूर्व में उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के पूर्वज सम्भूड़ा के नाम रही है और वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार है । अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। चूंकि वर्तमान में विवादित भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण, यदि उसको पाबन्द कर दिया जाता है तो अपूरणीय क्षति केवल अप्रार्थीगण संख्या 1 को ही होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner